

प्ररूप 1 (केशधारी सिख के लिए)**[देखिए नियम 7(1)]**

मैं, पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री आयु निवासी
 इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं

- (क) एक केशधारी सिख हूँ;
- (ख) मेरी दाढ़ी या केशों को साफ या हजामत नहीं करता;
- (ग) धुम्रपान नहीं करता या किसी भी रूप में कुथा (हलाल) मांस का प्रयोग नहीं करता;
- (घ) मादक पेय नहीं लेता; तथा
- (ङ) *पतित नहीं हूँ।

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान**

* पतित से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो केशधारी सिख होते हुए अपनी दाढ़ी या केशों को साफ या हजामत करता है या जो अमृत छकने के बाद चार कुराहितों का कोई एक या से अधिक करता है।

[अधिनियम की धारा 2(1)]

** किसी निरक्षर के मामले में, जो उसने प्ररूप से समझी है, घोषणा दोहरानी चाहिए तथा फिर प्ररूप पर अंगूठा निशान लगाना चाहिए। [नियम 7 के उप-नियम (1) का परन्तुक]

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान**